छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर

क्रमांक 4197/1488/18/2007 रायपुर, दिनांक 02 जुलाई 2007

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर एवं
अध्यक्ष (डूडा), छत्तीसगढ़
2. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषयः राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत "सांस्कृतिक भवन" योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

....

विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत "सांस्कृतिक भवन" योजना प्रदेश के नगर निकायों में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर निकाय क्षेत्रांतर्गत योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ करें।

2. राज्य शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय के अंतर्गत एक "सांस्कृतिक भवन" निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
3. इस योजना का प्रस्ताव एक माह में भेजना सुनिश्चित करें ताकि निर्माण कार्य 30 जून 2008 तक पूर्ण कराया जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

31/7/2007

(सी.के.खेतान)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\All work folder\Letter\Govt\Hindi Letter.doc

क्रमांक: /1488/18/2007 रायपुर, दिनांक जुलाई 2007

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, रायपुर।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन को सूचनार्थ।
4. विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीगढ़ शासन।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ, रायपुर।
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर/बिलासपुर संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना

दिशा–निर्देश

1 नाम तथा विस्तार :– इस योजना का "सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना" होगा तथा यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वर्ष 2007–08 से लागू होगी।

2 उद्देश्यः– इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सर्वसुविधायुक्त भवन उपलब्ध कराना है।

3 योजना के लिए धनराशि :– यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत की जाएगी, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जावेगी। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, नारायणपुर में 35.00 लाख रू. के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में 25.00 लाख रू. के लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। किन्तु यह सीमा सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में रखी गई हैं।

4 योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यः–

I सांस्कृतिक भवन में सांस्कृतिक सामाजिक कार्य सम्पन्न कराने हेतु बड़ा हाल, हाल के अंदर/बाहर स्टेज, ग्रीन रूम व प्रसाधन (स्त्री, पुरूष हेतु पृथक–पृथक), किचन, चौकीदार कक्ष, कमरों कॉरीडोर, बाउंड्री वॉल व निर्माण कराया जा सकेगा।

II बड़े भवनों के प्रथम तल पर पहुंचने हेतु सीढ़ीयों के निर्माण के साथ–साथ ठहरने हेतु कमरे की व्यवस्था एवं स्टोर रूप का भी प्रावधान आवश्यकतानुसार रखा जाएगा।

III भवन में जलप्रदाय एवं विद्युत की समुचित व्यवस्था हेतु प्रावधान रखा जाएगा। इसके साथ ही परिसर में बाह्यविद्युतीकरण का प्रावधान भी किया जाना होगा।

IV भवन के आसपास जल की समुचित निकासी हेतु यदि आवश्यक हो तो नाली निर्माण किया जाएगा। सांस्कृतिक भवन के सामने मार्ग तक मार्ग निर्माण तथा सामुचित पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्माण कार्य लैंड–स्केपिंग तथा उद्यान आदि का निर्माण कार्य उक्त परिसर के भीतर किये जाने का प्रावधान लिया जा सकेगा।

V इसके अतिरिक्त यदि निकायों में पूर्व से सार्वजनिक सांस्कृतिक भवन निर्मित हो तो उसके विस्तार का कार्य तथा उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के पूर्ति हेतु कार्य प्रस्ताव लिये जा सकेंगे। इसमें संधारण का कार्य नहीं लिया जा सकेगा, इसके लिए साईट प्लान में पूर्व निर्मित एवं प्रस्तावित निर्माण को अलग–अलग रंगों में चिन्हित कर प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

VI योजना के एक बोर्ड लगाना होगा जिसकी साईज 4' x 2.5' फीट होगी, जिसका बैकग्राउंड नीला होगा व अक्षर सफेद रंग से लिखे जाएंगे।

5 **योजना का स्वरूपः–** इस योजनांतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भूमि चयन कर एक ले–आउट तैयार किया जाएगा। योजना से संबंधित स्थल का भू–अभिन्यास अनुमोदन नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिये एक आदर्श प्राक्कलन एवं ड्राईंग, दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न है। स्थल अनुरूप विनिर्दिष्ट विशेषताओं के अनुरूप वित्तीय सीमा के अंतर्गत आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

6 **प्रक्रियाः–** योजना के क्रियान्वयन हेतु निकाय द्वारा प्रस्ताव महापौर/अध्यक्ष परिषद् से अनुमोदन उपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) सहित प्रस्तुत करना होगा। भवन के रखरखाव हेतु स्थानीय निकाय स्त्रोत हेतु समिति बनाकर आवश्यक किराया निर्धारण करेगें। ताकि भवन के संधारण एवं साफ सफाई हेतु भविष्य में कोई कठिनाई न हो।

७ **जमा निधियों पर अर्जित ब्याज का उपयोगः–** योजना की जमा निधियों पर अर्जित ब्याज मूल योजना की राशि का एक भाग माना जावेगा।

8 लेखा संधारणः— राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा तथा निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम किश्त की राशि के 70 प्रतिशत उपयोग के आधार पर आगामी किश्तों का निर्गमन किया जा सकेगा।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि, नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी, जिसका परिचालन नगर निगमों में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में छत्तीसगढ़ नगर पालिका लेखा नियम 1971 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार खाते का संचालन किया जाएगा।

(सी.के.खेतान)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग